



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 20]
No. 20]नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1999/चैत्र 10, 1921
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 1999/CHAITRA 10, 1921

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1999

संख्या 301-4/99-टीआर एआई/इकोन.— भारतीय दूरसंचार विनियामक कानून की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दिए गए अधिकार, कि भारत और बाहरी देशों में उपलब्ध कराई जाने वाली दूरसंचार सेवाओं के शुल्क की जानकारी अधिकारिक प्रपत्र में एक आदेश के जरिए दी जा सकती है, के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है।

दूरसंचार शुल्क (पहला संशोधन) आदेश, 1999

भाग-एक

शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भण

- लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भण :
 - यह आदेश "दूरसंचार शुल्क (पहला संशोधन) आदेश 1999" [दि टेलीकम्युनिकेशन टैरिफ (फर्स्ट अमेंडमेंट) आर्डर 1999] के नाम से जाना जाएगा।
 - यह आदेश 1 अप्रैल 1999 से लागू होगा।

भाग-दो

शुल्क

2. दूरसंचार शुल्क आदेश 1999 की अनुसूची I, II और V में जहां कहीं भी 1 अप्रैल 1999 की तारीख आई है उसकी जगह 1 मई 1999 की तारीख डाल दी जाएगी।

भाग-तीन

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस आदेश में एक अनुलग्नक 'A' है जो व्याख्यात्मक ज्ञापन है और जो दूरसंचार शुल्क आदेश 1999 में इस संशोधन के कारण बताता है।

आदेशानुसार,

राकेश कपूर, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक 'A'

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 9 मार्च 1999 को दूरसंचार शुल्क आदेश 1999 अधिसूचित किया था। उसमें विनिर्दिष्ट शुल्क 1 अप्रैल 1999 से लागू होने थे। हालांकि, इसके अगले ही दिन केन्द्र सरकार ने ट्राई कानून 1997 की धारा 25 के तहत होने का आभास देते हुए एक निर्देश जारी किया कि "शुल्क आदेश को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक इस पूरे मामले पर सरकार विचार न कर ले।" इस मामले पर जब सरकार के साथ पत्राचार चल रहा था तब भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के सचिव ने 27 मार्च 1999 के अपने पत्र के जरिए यह आग्रह किया कि किसी तरह की भ्रम की स्थिति से बचने के लिए और देश भर के कम्यूरीकृत एक्सचेंजों में आवश्यक परिवर्तन लागू करने में कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए दूरसंचार शुल्क आदेश 1999 की अनुसूची एक (बुनियादी सेवाएं) में विनिर्दिष्ट शुल्कों को 15 अप्रैल 1999 से पहले न लागू किया जाए।

इस बीच, सेल्यूलर आपरेटों और अन्य बुनियादी सेवा आपरेटों, जिनके नाम सर्वश्री बीपीएल मोबाइल, बिडला एटीएंडटी, स्काई सेल,

हजीज इत्याद, एस्सार, मोदी टेलस्ट्रा, मैक्स टच और एस्कोटेल हैं, की ओर से यह आग्रह प्राप्त हुआ कि दूरसंचार शुल्क आदेश 1999 को लागू करना 2 से 4 हफ्ते के लिए टल दिया जाए।

आदेश को लागू करना टालने के लिए आए आग्रहों पर विचार करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 29 मार्च 1999 को आधिकारिक स्तर पर सेवा प्रदाताओं और उनके प्रतिनिधियों के लिए एक खुली बैठक का आयोजन किया। इसमें दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस बैठक में दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधियों ने शुल्क आदेश को लागू करने के लिए कुल मिलाकर पांच हफ्ते का समय मांगा। यह समय अनुसूची एक (बुनियादी सेवा) और अनुसूची पांच (आईएसडीएन) के लिए मांगी गई थी जबकि निजी सेवा प्रदाताओं ने अनुसूची एक (बुनियादी सेवा) और अनुसूची दो (सेल्यूलर सेवाएँ) के मामले में दूरसंचार विभाग द्वारा अपनी चार्जिंग योजना उपलब्ध कराने के बाद 2 से 3 हफ्ते का समय मांगा।

शुल्क के मामले में अंतिम निर्णय लेने और फिर उसे चार्जिंग प्लान में बदलने के लिए फ्रीलड यूनिटों को देने तथा संबद्ध सॉफ्टवेयर में जो परिवर्तन करना होगा उसके मद्देनजर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मानना है कि दो हफ्ते का समय इस काम को पूरा करने के लिए वाजिब होगा। सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोनी सेवा आपरेटरों और बुनियादी सेवा प्रदाताओं को चार्जिंग तालिका उपलब्ध कराए जाने के बाद भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का अनुमान है कि इसे उनके सभी एक्सचेंजों के लिए सॉफ्टवेयर में बदलने के लिए आवश्यक समय लगभग दो हफ्ते का होगा। इसलिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण मानता है कि कुल चार हफ्ते का समय अनुसूची एक, दो और पांच के नए शुल्क को लागू करने के लिए आवश्यक तैयारी कार्यों हेतु न्यायोचित है। इसलिए इस संशोधन के जरिए अनुसूची एक, दो और पांच के शुल्कों को लागू करने की तारीख 1 मई 1999 की जा रही है।

हालांकि, अन्य सेवाओं यानी जो अनुसूची तीन, चार, छह, सात, आठ और नौ में हैं उनके मामले में दूरसंचार शुल्क आदेश 1999 एक अप्रैल 1999 से प्रभावी हो जाएगा। इन सेवाओं के मामले में ऊपर बताया गए कारणों से सेवा प्रदाताओं ने अभी तक धारा सात के तहत सूचना देने और शुल्क आदेश की धारा नौ के तहत प्रकाशन की शर्त का पालन नहीं किया है।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने तय किया है कि अनुसूची तीन, चार, छह, सात, आठ और नौ के तहत आने वाली सेवाओं के मामले में पूर्व सूचना देने और प्रकाशन की शर्त को एक बार के लिए नजरअंदाज कर दिया जाए बशर्ते सेवा प्रदाता इन शर्तों का पालन 15 अप्रैल 1999 से पहले कर लें।

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/142/98]

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1999

No. 301-4/99-TRAI(Econ).—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 to notify, by an Order in the Official Gazette, tariffs at which

Telecommunication Services within India and outside India shall be provided, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order.

The Telecommunication Tariff (First Amendment) Order, 1999

Section I

Title, Extent and Commencement

1. Short title, extent and commencement :

- (i) This Order shall be called "Telecommunication Tariff (First Amendment) Order 1999."
- (ii) The Order shall come into force from April 1, 1999.

Section II

Tariff

2. In Schedules I, II & V of the Telecommunication Tariff Order, 1999, the date April 1, 1999 wherever it appears in these schedules shall be substituted by the date May 1, 1999.

Section III

Explanatory Memorandum

3. This Order contains at Annex A, an Explanatory Memorandum which explains the reasons for this amendment to the Telecommunication Tariff Order, 1999.

By Order,

RAKESH KAPUR, Jt. Secy.

Annex 'A'

Explanatory Memorandum

On March 9, 1999, the Telecom Regulatory Authority of India has notified the Telecommunication Tariff Order 1999. The tariffs specified therein were to be implemented with effect from April 1, 1999. On the very next date, however, the Central Government issued a directive purporting to be under Section 25 of the TRAI Act, 1997 that the Tariff Order be held "in abeyance till the entire issue is considered by the Government". While this issue was under correspondence with the Government, the Secretary, Department of Telecommunication, Government of India by this letter of March 27, 1999, requested that in order to avoid any confusion or disruption in effecting necessary changes in all computerised exchanges all over the country, the date of implementation for the tariffs provided for in Schedule I (Basic Services) of Telecommunication Tariff Order, 1999 not be earlier than April 15, 1999.

In the meanwhile, requests were also received from Cellular operators and other Basic service operators, namely M/s. BPL-Mobile, Birla AT&T, Sky Cell, Hughes Ispat, Essar, Modi-Telstra, Maxtouch and Excotel, seeking a 2-4 week postponement of the implementation of the Telecommunication Tariff Order, 1999.

To consider these requests for postponement, the Telecom Regulatory Authority of India on March 29, 1999, at the official level, held an open house meeting with the associations of service providers and their representatives, including the representatives of DOT. At this meeting, representatives of DOT sought an over all 5-week extension of time for implementation of the tariff order in respect of Schedule I (Basic Services) and Schedule V (ISDN), while private service providers in respect of Schedule I (Basic Services) and Schedule II (Cellular Services) requested for two to three weeks time for implementation after the DOT had made available its charging plans.

Keeping in view the process that will be required to be gone through by DOT in finalising its tariff and passing it on to the field units for conversion into charging plans and related software, the Telecom Regulatory Authority of India considered two weeks time to be justified for completing this exercise. After the charging tables are made available to the Cellular Mobile Telephone Service operators and the Basic service providers, the Telecom Regulatory Authority of India estimates that the time required is about 2 weeks to convert

it into their software for all the exchanges. The Telecom Regulatory Authority of India thus considers a total of 4 weeks time to be justified for the necessary preparatory work for the introduction of new tariffs in Schedules I, II and V. Hence, this amendment changing the date of implementation of tariffs in the Schedules I, II and V to May 1, 1999.

The Telecommunication Tariff Order, 1999 in respect of other services namely, those in schedules III, IV, VI, VII, VIII and IX shall, however, come into effect from April 1, 1999. In respect of these services because of the reasons mentioned above, the service providers have not so far complied with the reporting requirement under clause 7 and publication requirement under clause 9 of the Tariff Order.

In view of the above, the Telecom Regulatory Authority of India has decided to grant a one-time waiver from the prior reporting and publication requirements in respect of services covered by Schedules III, IV, VI, VII, VIII and IX subject to service providers meeting these requirements no later than April 15, 1999.

[Advt/III/IV/Exty/142/98]

